I/239185/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 239185 **/ई0–** 64678 **/2024**
देहरादूनः दिनांक 12 **सितम्बर, 2024**

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत वित्त अनुभाग–01, 06, 07, 09 एवं 10 को आवंटित कार्यों/विषयों के पुनरावंटित संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्याः 214495/2024, दिनांकः 31.05.2024 को अधिक्रमित करते हुए उक्त सन्दर्भित अनुभागों के मध्य आवंटित कार्यों/विषयों को कार्यहित में निम्नानुसार पुनरावंटित किया जाता हैः–

वित्त अनुभाग–01

क0सं0	आवंटित कार्य
1.	अनुमान तैयार करनाः– (1) भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम। (2) ऋण कम करना तथा उसका परिहार। (3) राज्य भविष्य निधि। (4) लोक लेखे के अन्तर्गत ऋण निक्षेप तथा विप्रेषण। (5) अनुभाग से संबंधित ऋण मदों पर ब्याज का भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियां।
2.	निधियों का परामर्श संबंधी कार्य।
3.	अर्थोपाय।
4.	आय–व्ययक अनुमानों का संकलन/नई मांग।
5.	आय–व्ययक सहित्य का प्रकाशन एवं सम्पूर्ति।
6.	अनुभाग से संबंधित मदों के विषय में आडिट आपत्ति तथा विनियोग लेखें के लिये स्पष्टीकरण।
7.	लेखा वर्गीकरण।
8.	शासकीय व्यय पर प्रभावशाली नियंत्रण।
9.	व्यय वित्त समिति के गठन से संबंधी।
10.	विलीनीकृत रियासतों से संबंधित अंशकों पर प्राप्त लाभांश।
11.	बजट अनुमानों से संबंधित विधायी कार्य।
12.	आय–व्ययक साहित्य हेतुः– (1) राज्य की कुल ऋणग्रस्तता का आकलन। (2) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की अदत्त शेष का आकलन। (3) रक्षित निधियों के अदत्त शेष का आकलन। (4) ब्याज संबंधी भुगतानों का विश्लेषण। (5) ब्याज संबंधी प्राप्तियों का विश्लेषण।
13.	विश्व बैंक से संबंधित कार्य।
14.	विदेशी मुद्रा।

15.	व्ययाधिक्य से संबंधित आडिट प्रस्तर।
16.	शासकीय व्यय पर नियंत्रण हेतु सामान्य निर्देश एवं देयकों का कोषागार से भुगतान संबंधी समस्त कार्य।
17.	विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों से मिलान एवं कोषागार/खण्डीय कार्यालयों द्वारा महालेखाकार को लेखों का प्रेषण।
18.	उत्तरांचल राज्य आकस्मिकता निधि।
19.	अनुपूरक अनुमानों का संकलन एवं विनियोग विधेयक।
20.	नई मांगों की अनुसूची का संकलन।
21.	अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संकलन एवं विनियोग विधेयक।
22.	ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित ऋण आदि के प्रस्तावों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को प्रेषित करना तथा तत्संबंधी लेखों का रख–रखाव।
23.	पुनरीक्षित अनुमानों के संबंध में सामान्य निर्देश।
24.	वित्त मंत्री जी का बजट भाषण।
25.	बजट मैनुअल (समस्त कार्य)।
26.	बजट परिचय पुस्तिका का मुद्रण।
27.	अनुकम्पा निधि तथा संबंधित कार्य (सेवाकाल के दौरान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता)
28.	स्वायत्तशासी संस्थाओं से ऋण तथा उसका प्रतिदान एवं उससे संबंधित समस्त कार्य।
29.	राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/भवन मरम्मत/विस्तार/मोटर वाहन तथा अन्य वाहन/ सायकिल क्रय तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम की व्यवस्था एवं आवंटन तथा नीति निर्धारण संबंधी कार्य।
30.	व्यक्तिगत अग्रिमों पर ब्याज दरों का निर्धारण।
31.	राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर निर्धारण करना।
32.	सभी निगमों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतियों का दिया जाना।
33.	ऋण अनुमान से संबंधित अनुपूरक अनुमान एवं बजट व्यवस्था।
34.	ऋण पक्ष से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखाकार लोक लेखा से संबंधित आडिट आपत्ति।
35.	शासकीय प्रत्याभूति पर गारण्टी शुल्क।
36.	बाजार ऋण से संबंधित बजट व्यवस्था/वित्तीय स्वीकृति जारी करना।
37.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के मद में बजट व्यवस्था/वित्तीय स्वीकृति जारी करना।
38.	विधान सभा तथा लोक सभा प्रश्नों से संबंधित कार्य।
39.	राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिये अन्तिम केन्द्रीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करना।
40.	राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का अन्तिम समायोजन।
41.	राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष में प्राप्त केन्द्रीय सहायता का राज्य खाते में समायोजन तथा महालेखाकार के खातों में दर्ज आंकड़ों से मिलान।
42.	विकास विभागों से राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर

	हुए व्यय के विभागीय आंकड़ों के मासिक विवरण प्राप्त करना तथा उनका संकलन।
43.	विकास विभागों से राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर वित्तीय वर्ष में हुए कुल व्यय के समाधानित आंकड़ों के विवरण प्राप्त करना।
44.	राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर हुए व्यय के समाधानित आंकड़ों के आधार पर व्यय का संहत (कनसॉलिडेटेड) विवरण तैयार करना तथा विवरण पुस्तिका को मुद्रित कराके उसके आधार पर महालेखाकार द्वारा सम्प्रेक्षा प्रमाणक जारी कराना तथा महालेखाकार द्वारा सम्परीक्षा आंकड़ों के आधार पर विवरण पुस्तिका का पुनः मुद्रण कराना।
45.	केन्द्रीय आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर योजनाओं के लिये अवमुक्त केन्द्रीय सहायता का समन्वय।
46.	मितव्ययता।
47.	कार्य पूर्ति दिग्दर्शक बजट की तैयारी हेतु प्राविधिक मार्ग–दर्शन व परिनिरीक्षण।
48.	आय–व्ययक साहित्य को तैयार करना।
49.	योजना आयोग से संबंधित कार्य (राज्य की पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना हेतु संसाधानों, पूर्वानुमानों के निर्धारण का कार्य)
50.	राज्य के लिये संसाधनरों का अनुमान तैयार करना।
51.	राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित कार्य।
52.	अतिरिक्त संसाधन का समन्वय।
53.	कर तथा करेत्तर राजस्व के आंकड़े प्राप्त करना।
54.	आर्थिक बोध एवं वित्तीय सांख्यिकी के संदर्भ में संसाधन खण्ड में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।
55.	संसाधन खण्ड की लाइब्रेरी का रख–रखाव।
56.	वित्तीय सांख्यिकी से संबंधित बजट का सचिवालय स्तर का कार्य।
57.	डायरेक्ट्रेट ऑफ बजट मैनेजमेन्ट, फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज का अधिष्ठान एवं बजट संबंधी कार्य।
58.	संसाधन खण्ड से संबंधित अन्य विधि कार्य– (1) संसाधन एवं व्यय आयोग तथा
59.	सिंकिंग फण्ड।
60.	संस्थागत प्रकोष्ठ।
61.	गारन्टी एवं रिडम्पसन फण्ड।
62.	संसद/विधान सभा प्रश्नों, सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से संबंधित कार्य।
63.	राज्य पुनर्गठन से संबंधित कार्य।
64.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित कार्य।
65.	आपात व्यवस्था (सीमान्त)
66.	बीमा कम्पनियों और अनुसूचित बैंकों का फाइडेलिटी बोर्ड हेतु अनुमोदन।
67.	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष।
68.	कोषागार/उपकोषागार में करेन्सी चैस्ट की स्थापना चेस्ट सीमा बढाना।
69.	सरकारी लेन–देन के कार्य का भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीकृत बैंकों को हस्तान्तरण त

	था भारतीय स्टेट बैंक की हड़ताल
70.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना।
71.	कोषागार/उपकोषागारों पर महालेखाकार का वार्षिक प्रतिवेतन।
72.	अन्न सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभ हानि लेखे तथा संतुलन के विवरण का परीक्षण।
73.	बैंक गारण्टी स्कीम।
74.	जालसाजी आदि कारणों से फर्जी बिलों पर बैंक द्वारा दिये गये भुगतानों के संबंध में बैंक का उत्तरदायित्व निर्धारित करना एवं हानि की वसूली करना।
75.	भारत सरकार द्वारा भेजे गये खाद्यन्नों के संबंध में उठाये गये नामे का समायोजन।
76.	गलत उठाये गये नामे के संबंध में पत्र व्यवहार।
77.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही।
78.	वित्त आयोग निदेशालय का अधिष्ठान एवं बजट संबंधी समस्त कार्य।
79.	समय–समय पर राज्य वित्त आयोग गठित करने संबंधी समस्त कार्य।
80.	समय–समय पर गठित राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने संबंधी समस्त कार्य।
81.	समय–समय पर गठित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण संबंधी समस्त कार्य।
82.	राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को संक्रमण एवं अन्य अनुदानों की धनराशि अवमुक्त करने संबंधी समस्त कार्य।
83.	समय–समय पर गठित होने वाले केन्द्रीय वित्त आयोगों हेतु समस्त सूचनायें संकलित, मैमोरेण्डम एवं आयोग संबंधी समस्त कार्य।
84.	केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण संबंधी समस्त कार्य।
85.	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों की धनराशि अवमुक्त करने संबंधी समस्त कार्य।

वित्त अनुभाग–06

–

क0सं0	आवंटित कार्य
1.	सहकारी तथा पंचायत लेखा सम्परीक्षा संगठनः– (1) राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित अधिकारियों का अधिष्ठान तथा बजट। (2) सहकारी समितियों तथा पंचायतों के लेखे की सम्परीक्षा तथा सम्परीक्षा शुल्क का निर्धारण। (3) अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन। (4) सम्परीक्षा कार्यक्षेत्र का निर्धारण। (5) लोक लेखा समिति तथा वार्षिक विवरण। (6) सेवा नियमावलियां। (7) सहकारी समितियां तथा पंचायतों के लेखा परीक्षा अधिनियम (विचाराधीन)।
2.	सहकारी समितियों द्वारा सम्परीक्षा शुल्क उद्धरण तथा दरों का निर्धारण।
3.	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठनः–

	(1) राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का अधिष्ठान तथा बजट। (2) अधिकारों का प्रतिनिधायन। (3) सेवा नियमावलियां। (4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियम संग्रह। (5) संगठन द्वारा की जाने वाली सम्परीक्षा के लिये शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा सम्परीक्षा शुल्क से मुक्ति। (6) लोक लेखा समिति/वार्षिक विवरण।
4.	कोषाध्यक्ष, धर्मादा सन्दान (चैरिटेबुल इन्डाउमेंट ट्रस्ट) उ0प्र0 अधिष्ठान लेखों के रख–रखाव संबंधी मामले।
5.	रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज के अधिष्ठान तथा प्रकीर्ण मामले, आय–व्ययक।
6.	प्रदेश में चल रही चिट फण्ड तथा अन्य लाभकारी योजनाओं पर नियंत्रण।
7.	निम्नलिखि अधिनियमों का प्रशासनः– (1) इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट। (2) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। (3) एन0बी0एफ0सी0 एक्ट। (4) उत्तरांचल चिट फण्ड एक्ट। (5) प्राइज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैंकिंग) एक्ट 1978 (6) चिट फण्ड अधिनियम, 1982
8.	लेखाओं की सम्परीक्षाः– (1) जिला पंचायतों, नगर पालिका परिषदों/नगर निगमों तथा नगर पंचायतों आदि। (2) राजकीय अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेज, इण्टरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा संस्कृत पाठशालायें। (3) कृषि उत्पादन मण्डी समितियां तथा क्षेत्र समितियां। (4) ऐसी समस्त संस्थायें जिन्हें शासन द्वारा 10,000 रूपये से अधिक अनावर्तक अनुदान दिया जाता है। (5) विश्वविद्यालयों के लेखों की सम्वर्ती सम्परीक्षा। (6) प्रदेशान्तर्गत स्थापित विकास प्राधिकरण, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक विद्यालयों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य अशासकीय चिकित्सक संस्थायें, गन्ना निधियां, राजकीय लाटरी, वन निगम, उत्तरांचल आवास विकास परिषद के लेखाओं की सम्परीक्षा।
9.	स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखों की विशेष सम्परीक्षा तथा उसके लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति।
10.	उत्तरांचल लोकल फण्ड आडिट एक्ट।
11.	सहकारी एवं पंचायत आडिट एक्ट।
12.	राष्ट्रीय बचत निदेशालय के सभी कार्य।
13.	लेखा एवं हकदारी निदेशालय का अधिष्ठान, वित्त विभाग हेतु पेंशन तथा सामूहिक बीमा संबंधी आय–व्ययक अनुमान एवं अनुश्रवण।
14.	उत्तरांचल वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग का अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।
15.	उत्तरांचल सहायक लेखा अधिकारी सेवा संवर्ग के अधिष्ठान से संबंधित कार्य।
16.	उप कोषाधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य।
17.	कोषागार एवं स्टेट इन्टरनल ऑडिटर के अधिष्ठान तथा आय–व्ययक संबंधी कार्य।

I/239185/2024

18.	कोषागारों का कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित कार्य।
19.	पी0ए0सी0 पैरा से संबंधित कार्य।
20.	कोषागारों के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य तथा कोर्टकेस संबंधी कार्य।
21.	कोषागारों/उप कोषागारों के गबन/कपटपूर्ण आहरण तथा अन्य अनियमितताओं संबंधी कार्य।
22.	कोषागारों/उप कोषागारों के निरीक्षण आख्या, कोषागारों/उपकोषागारों का सृजन तथा पद सृजन संबंधी कार्य।
23.	कोषागारों में स्टाम्पों का कार्य तथा ड्राफ्ट पैरा से संबंधित समस्त कार्य।
24.	वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ।
25.	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
26.	एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक संबंधी कार्य एवं बजट आवंटन।
27.	विधान सभा प्रश्न/आश्वासन एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से संबंधित कार्य।
28.	अन्य विविध कार्य।
29.	राज्य पुनर्गठन से संबंधित कार्य।
30.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित कार्य।
31.	रिजर्व बैंक द्वारा बताई गयी कोषागार/उपकोषागारों की अनियमिततायें।
32.	कोषागारों पर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट।
33.	कोषागारों में चेक द्वारा भुगतान प्रणाली।

–

वित्त अनुभाग–07

क0सं0	आवंटित कार्य
1.	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग–2 से 4 का रख–रखाव।
2.	उक्त नियम संग्रह के संबंधित नियमों में संशोधन आदि के मामले। (वित्तीय नियम)
3.	वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि तथा दक्षता रोक से संबंधित समस्त मामले (मूल नियम–22 से 35 तक) अखिल भारतीय सेवाओं सहित। (वित्तीय नियम)
4.	शुल्क मानदेय, विशेष वेतन, अतिरिक्त वेतन तथा स्नातकोत्तर वेतन।
5.	मूल नियम–53, 54 तथा 56 से संबंधित समस्त कार्य।
6.	सेवा प्रसार।
7.	उपरोक्त नियमों में संशोधन।
8.	दैनिक वेतनभागी कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारण।
9.	कार्यभार ग्रहण काल एवं बाध्य प्रतीक्षा से संबंधित मामले। (बाध्य प्रतीक्षा)
10.	सरकारी कर्मचारियों के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतन मान/प्रोन्नत वेतनमान।
11.	प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रैक्टिस बन्दी भत्ता तथा वेतन, परियोजना भत्ता , नगर प्रतिकर भत्ता आदि समस्त भत्तों संबंधी कार्य।
12.	अभियन्त्रण विभाग के दैनिक वेतन तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों के प्रकरण।
13.	राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियाँ।

I/239185/2024

14.	वेतन समिति की संस्तुति पर विचार किये जाने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति से संबंधित कार्य।
15.	वेतन समिति का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
16.	समस्त सरकारी विभागों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों से संबंधित निम्नलिखित कार्यः– (1) वेतन आयोग (1971–73), वेतन विसंगति समिति (1975), द्वितीय वेतन आयोग (उ.प.) (1979–80) तथा समता समिति (1989) की संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (2) वेतन आयोग (1971–73), समता समिति तथा द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में छूटे हुए पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमानों का निर्धारण। (3) वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (4) राज्य कर्मचारियों के पदों के वेतनमानों को उच्चीकृत करने से संबंधित प्रशासकीय अनुभागों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण। (5) समस्त प्रशासकीय विभाग से विभिन्न मामलों में प्राप्त पत्रावलियों में परामर्श। (6) नव सृजित पदों के वेतनमानों का निर्धारण। (7) कर्मचारियों द्वारा चुने गये वेतनमानों के विकल्प बदलने से संबंधित प्रस्ताव।
17.	अधिष्ठान पुनरीक्षण का कार्य।
18.	सहायता प्राप्त प्राविधिक, शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी।
19.	राज्य के सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों/स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों/परिषदों/आयोगों आदि के विभागीय ढांचों का गठन/पुनर्गठन किये जाने के समस्त प्रस्तावों तथा पृथक से अतिरिक्त पदों के सृजन/वेतनमान से सम्बन्धित प्रस्ताव।
20.	विभागीय ढांचे/सृजित पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर नियुक्ति एवं आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों को रखे जाने तथा आउटसोर्स से सेवायें लेने के प्रस्तावों का परीक्षण।
21.	दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक, आउटसोर्स तथा तदर्थ आदि व्यक्तियों/कार्मिकों की मानदेय की दरों का निर्धारण एवं अन्य सुविधाओं तथा मानदेय पुनरीक्षित प्रस्तावों का परीक्षण।
22.	पुनर्नियुक्ति/निःसंवर्गीय पद सृजन तथा एव को–टर्मिन्स पदों का सृजन।
23.	अनुभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों से संबंधित कार्य, कोर्टकेस तथा संसद/विधान सभा प्रश्नों/सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से संबंधित समस्त कार्य।
24.	अनुभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों से संबंधित कोर्ट केस से संबंधित समस्त कार्य।

–

वित्त अनुभाग–09

–

क0सं0	आवंटित कार्य
1.	**(क) स्टाम्प से संबंधित निम्न कार्यः–** 1–स्टाम्प कोर्टफीस अधिनियम/नियमावलियों का संशोधन/निर्वाचन इंटरप्रिटेशन तथा संदर्भ। 2–स्टाम्प का अपवंचन। 3–स्टाम्प संबंधी सम्परीक्षा आपत्तियां (पार्ट–2 सैक्शन–ए)

	4–ड्राफ्ट पैरा। 5–सम्परीक्षा आपत्तियों से संबंधी लोक लेखा परीक्षा संबंधी मामले। 6–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के बजट संबंधी कार्य। 7–अन्य विविध मामले।
2.	**(ख) निबन्धन से संबंधित कार्यः–** 1–रजिस्ट्रेशन एक्ट/नियमावलियों का संशोधन/निर्वाचन इंटर प्रिटेशन तथा संदर्भ। 2–निबन्धन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा संबंधी मामले/अपीलें/प्रत्यावेदन /शिकायतें। 3–निबन्धन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें। 4–निबन्धन फीस का अपवंचन। 5–निबन्धन संबंधी सम्परीक्षा आपत्तियां। 6–ड्राफ्ट पैरा तथा लोक लेखा संबंधी सम्परीक्षा आपत्तियों का निराकरण। 7–विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावलियों का निर्माण एवं संशोधन।
3.	**(ग) अन्य कार्यः–** 1–संसद/विधान सभा प्रश्न/आश्वासनों एवं विधान सभा संबंधी समस्त कार्य। 2–अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने संबंधी कार्यवाही तथा यात्रा भत्ता नियमों में शिथिलीकरण आदि का कार्य। 3–परिवीक्षाधीन आई0ए0एस0/राज्य सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम बनाना तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी की आख्या को वित्त सचिव की अभ्युक्ति के साथ भेजना। 4–शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टियां कराना तथा उनका रख–रखाव तथा विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों, जिनकी प्रविष्टियां वित्त सचिव को करनी पड़ती है, उन्हे यथास्थान भेजना। 5–कर्मचारियों के नये पदों का सृजन तथा निरन्तरता के आदेश जारी करना। 6–शाखा के अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं तैनाती तथा नये पदों के सृजन आदि से संबंधित कार्य। 7–शाखाओं को प्राप्त अधिकारों के अधीन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य। 8–वित्त (निर्गम) अनुभाग द्वारा वित्त सचिव शाखा के निम्नलिखित पत्र तथा परिपत्र निर्गत करनाः– 1. सभी प्रकार के स्थानीय तथा डाक द्वारा एवं हवाई जहाज द्वारा भेजे जाने वाले पत्र। 2. सभी प्रकार के पंजीकृत पत्र तथा पंजीकृत पार्सल। 3. अन–रजिस्टर्ड पार्सल तथा पैसेन्जर ट्रेन से भेजे जाने वाले पार्सल। 4. इन्श्योर्ड रजिस्टर्ड पत्र तथा पार्सल। 5. सभी प्रकार के परिपत्र तथा गोपनीय पत्र। 6. सभी प्रकार के द्रुतगामी पत्र। 7. वित्त सचिव शाखा की समस्त पोस्टल डाक तथा स्थानीय डाक लेना तथा शाखा के संबंधित अनुभागों को वितरण करना।

I/239185/2024

	9–सरकारिया कमीशन/केन्द्र राज्य वित्तीय संशोधनरों से संबंधित समस्त कार्य। 10–राज्य पुनर्गठन संबंधी कार्य। 11–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित कार्य। 12–The Religious Endoments Act 1863 से संबंधित कार्य।
4.	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन–संशोधन तथा उनकी आख्या।
5.	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 संशोधन तथा नियमों की आख्या। (नियमों में संशोधन)
6.	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–7 संशोधन तथा नियमों की आख्या।
7.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली।
8.	आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किया जाना।
9.	वित्तीय मामलों हेतु कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष घोषित करना।
10.	विनियोजन नियंत्रण–लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा शिक्षा विभाग के लिए साख पत्र सीमा आवंटन संबंधी कार्य। (साख सीमा)
11.	शासकीय बकायों की वसूलियों को छोड़ा जाना।
12.	गबन, दुर्विनियोग तथा अन्य कारणों से शासन को हुई सार्वजनिक धन, भण्डार एवं अन्य सम्पत्ति की हानियों (खाद्यान्न की हानियों को छोड़कर) को बट्टे खाते में डाला जाना।

वित्त अनुभाग–10

–

क0सं0	आवंटित कार्य
1.	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग 1 व 2 से संबंधित समस्त कार्य (संशोधन तथा आख्या सहित)
2.	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग 1 व 2 से संबंधित भारत सरकार की पुस्तकों का संशोधनः– (1) सी.टी.आर., खण्ड–1 व 2 (1) सी.टी.आर., खण्ड–1 व 3
3.	ट्रेजरी मैनुअल और सब ट्रेजरी मैनुअल में संशोधन।
4.	उक्त नियम संग्रह के संबंधित नियमों में संशोधन आदि के मामले। (वित्तीय नियम)
5.	वेतन संरक्षण, सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए सेवाओं का जोड़ा जाना।
6.	वैयक्तिक लेखा खाता खोलने आदि से संबंधित कार्य।
7.	सामान्य भविष्य निधि, सामूहिक बीमा योजना।
8.	सैनिक पेंशन भुगतान केन्द्रों की स्थापना।
9.	पेंशन दायित्वों से संबंधित कार्य।
10.	पेंशन के राशिकरण के मामले, राशिकरण संबंधी नियम तथा अनुमान।
11.	सेवा पेंशन के मामले, सिविल सर्विस, रेग्यूलेशन्स में दिये गये नियमों का विवेचन तथा संशोधन।
12	सिविल सर्विस असाधारण पेंशन नियम।

13.	पुलिस असाधारण पेंशन नियम।
14.	राजनैतिक पेंशन।
15.	एक्सग्रेशिया पेंशन।
16.	पेंशन/ग्रेच्युटी के विलम्ब से भगुतान पर ब्याज।
17.	पेंशन अदालतों के गठन संबंधी कार्य।
18.	पेंशन भोगियों का पुनर्नियोजन।
19.	भारत तथा उससे बाहर वाह्य सेवा में जाने पर उनकी पेंशन एवं असाधारण पेंशन की शर्तें।
20.	प्रतिनियुक्तियों में भेजे जाने पर पेंशन तथा असाधारण पेंशन की शर्तें।
21.	राज्य पुनर्गठन से संबंधित कार्य।
22.	अनुभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों से संबंधित कोर्ट केस से संबंधित समस्त कार्य।
23.	अनुभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित कार्य।
24.	अनुभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों से संबंधित विधान सभा एवं विधान परिषद, संसद/विधान सभा प्रश्नों/सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से संबंधित समस्त कार्य।
25.	चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति (समस्त कार्य)।
26.	अर्जित अवकाश का नकदीकरण।
27.	राज्य के सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों/स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों/परिषदों/आयोगों आदि के विभागीय ढांचों का गठन/पुनर्गठन किये जाने के प्रस्तावों तथा पृथक से अतिरिक्त पदों के सृजन/वेतनमान के प्रस्तावों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण।
28.	अवकाश से संबंधित मामले जिनमें अवकाश नियमों में संशोधन तथा उनकी व्याख्या के मामले सम्मिलित हैं। उनमें अध्ययन अवकाश के मामले भी सम्मिलित हैं।
29.	आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता योजना संबंधी मामले। (राजकीय विभागों की पत्रावलियों में परामर्श)
30.	श्रेणी–1 और 2 के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन–भत्ते आदि का अधिष्ठान बिल आहरण की योजना।
31.	उक्त नियम संग्रह के संबंधित नियमों में संशोधन आदि के मामले। (वित्तीय नियम)
32.	प्रोफार्मा प्रोमोशन।
33.	भारत सरकार के एकाउन्ट कोड, खण्ड–1 से 4 में संशोधन।
34.	प्रतिनियुक्ति; भारत सरकार विदेशों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति, वाह्य सेवा। (प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा)
35.	यात्रा भत्ता से संबंधित मामले, जिसमें यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन तथा उसकी व्याख्या के मामले भी सम्मिलित हैं। (यात्रा भत्ता)
36.	प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता की स्वीकृति, हवाई यात्रा आदि की स्वीकृति।
37.	राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शक्षिण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी का कार्य।
38.	राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स को राहत की स्वीकृति।

I/239185/2024

39.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये राज्य कर्मचारियों का स्थायी संविलियन।
40.	तदर्थ बोनस की स्वीकृति तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी कार्य।
41.	अनुभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों से संबंधित काय्र, कोर्टकेस तथा संसद/विधान सभा प्रश्नों/सूचनाओं एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों से संबंधित समस्त कार्य।
42.	राशनालाइजेशन ऑफ कान्ट्रेक्ट एण्ड लम्प कान्ट्रेक्ट।
43.	अग्रिम स्वीकृति के मामले।
44.	शासकीय हानियों की रोकथाम।
45.	सरकारी आवास गृहों के निर्माण, आवंटन, किराया तथा किराये की वसूली से संबंधित समस्त मामले।
46.	राज्य सरकार के सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा। (एल.टी.सी.)
47.	विवादों के मामले में मध्यस्थता हेतु फीस/मानदेय।
48.	भारतीय जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना। (बीमा)

2. उक्त अनुभागों के अतिरिक्त शेष अनुभागों (वित्त अनुभाग–02, 03, 04, 05 एवं 08) को आवंटित कार्य/विषय पूर्ववत रहेंगे।

3. विभिन्न प्रशासकीय विभागों के पुनर्विनियोग(एक लेखा शीर्षक से दूसरे लेखा शीर्षक में पुनर्विनियोग के मामले) का कार्य संबंधित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभागों द्वारा किया जायेगा।

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 11-09-2024 14:34:09

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्या– /ई0–18246/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त/कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उत्तरांचल कार्य बटवारा नियमावली, 2006 तथा उत्तरांचल सचिवालय के विभागों तथा अनुभागों के मध्य कार्य बटवारा में उक्तानुसार आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित।
6. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

I/239185/2024

Signed by Gajendra Singh Kaphalia
Date: 12-09-2024 10:35:25

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।